

12/19 24

पत्रावली पेश हुई। वकील भाषणा उपो प्रतिसें. 2 अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगायी, अनुपस्थित रहे। अतः प्रतिसें. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली बास्ते पुनः क्वी प्रतिसें 3 व 4 एवं जवाब देना प्रतिसें. 1 व 5 हेतु दि. 30/01/25 को पेश हो।

[Signature]
19/1/24

30/01/25

पत्रावली पेश हुई। डा. वि. वादी अनु. 1 स्वयं वादी भी अनुपस्थित। तीन बार क्लक-क्लक कर आवाज लगायी गयी, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश 9 R CPC अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल इफ्तार है।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला सागर (राज.)

